रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2007/ज्येष्ठ 15, 1929
No. 676] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2007/JYAISTHA 15, 1929

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2007

का.आ. 906(अ).—केन्द्र सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नेशनल स्पाट एक्सचेंज लि., में व्यापारित वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि की सभी अग्रिम संविदाओं को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रचालन से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट देती है; अर्थात् :—

(i) एक्सचेंज के सदस्यों को कम बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) दिन की समाप्ति पर व्यापार की सभी बकाया पोजिसनों की डिलिवरी कर दी जाएगी;

(iii) नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. स्पॉट व्यापार आयोजित करेगा जो उन क्षेत्रों जहां ऐसा व्यापार हो रहा है, में स्पॉट व्यापार को विनियमित कर रहे प्राधिकारियों द्वारा विनियमन के अध्यधीन होगा;

(iv) व्यापार से संबंधित सभी सूचना अथवा विवरणियों को जब भी मांगा जाएगा, उन्हें केन्द्रीय सरकार अथवा इसकी नामित एजेंसी को मुहैया कराया जाएगा;

(v) केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर जब जरूरी समझे अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार होगा;

(iv) किसी तात्कालिक आवश्यकता के मामले में छूट को बिना कोई कारण बताए सार्वजनिक हित में वापस ले लिया जाएगा।

[फा. सं. 12/3/2003-आई टी (पार्ट)]

पॉल जोसेफ, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2007

S.O. 906(E).—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby exempts all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the National Spot Exchange Ltd., from operation of the provisions of the said Act subject to the following conditions, namely :—

(i) no short sale by members of the Exchange shall be allowed;

(ii) all outstanding positions of the trade at the end of the day shall result in delivery;

(iii) the National Spot Exchange Ltd. shall organize spot trading subject to regulation by the authorities regulating spot trade in the areas where such trading takes place;

(iv) all information or returns relating to the trade as and when asked for shall be provided to the Central Government or its designated agency;

(v) the Central Government reserves the right to impose additional conditions from time to time as it may deem necessary; and

(vi) in case of exigencies, the exemption will be withdrawn without assigning any reason in public interest.

[F. No. 12/3/2003-IT(Pt.)]

PAUL JOSEPH, Senior Economic Adviser

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1037] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 2008/श्रावण 1, 1930
No. 1037] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 2008/SRAVANA 1, 1930

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2008

का.आ. 1830(अ).—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. में व्यापारित वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि की सभी अग्रिम संविदाओं को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रचालन से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट देती है; अर्थात् :—

(i) एक्सचेंज के सदस्यों को कम बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) दिन की समाप्ति पर व्यापार की सभी बकाया पोजिसनों की डिलिवरी कर दी जाएगी;

(iii) नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. स्पॉट व्यापार आयोजित करेगा जो उन क्षेत्रों जहां ऐसा व्यापार हो रहा है, में स्पॉट व्यापार को विनियमित कर रहे प्राधिकारियों द्वारा विनियमन के अध्यधीन होगा;

(iv) व्यापार से संबंधित सभी सूचना अथवा विवरणियों को जब भी मांगा जाएगा, उन्हें केन्द्रीय सरकार अथवा इसकी नामित एजेंसी को मुहैया कराया जाएगा;

(v) केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर जब जरूरी समझे अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार होगा; और

(vi) किसी तात्कालिक आवश्यकता के मामले में छूट को बिना कोई कारण बताए सार्वजनिक हित में वापस ले लिया जाएगा।

नेशनल कामोडिटीज डेरिवेटिव्ज एक्सचेंज लि. एन सी डी ई एक्स स्पॉट एक्सचेंज द्वारा भूल या चूक के किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेगा और न ही इसके आधारढांचे, शाफ्टवेयर या मानव संसाधनों का प्रयोग करेगा क्योंकि ये दोनों पृथक स्वतंत्र संस्थाएं हैं।

[फा. सं. 12/(3)/2003-आई टी (पार्ट)]

दि. स. कोलमकर, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2008

S.O. 1830(E).—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby exempts all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the NCDEX Spot Exchange Ltd., from operation of the provisions of the said Act subject to the following conditions, namely :—

(i) no short sale by members of the Exchange shall be allowed;

(ii) all outstanding positions of the trade at the end of the day shall result in delivery;

(iii) the NCDEX Spot Exchange Ltd., shall organize spot trading subject to regulation by the authorities regulating spot trade in the areas where such trading takes place;

(iv) all information or returns relating to the trade as and when asked for shall be provided to the Central Government or its designated agency;

(v) the Central Government reserves the right to impose additional conditions from time to time as it may deem necessary; and

(vi) in case of exigencies, the exemption will be withdrawn without assigning any reason in public interest.

National Commodities Derivatives Exchange Ltd., (NCDEX) shall not take any responsibility for any act of omission or commission by the NCDEX Spot Exchange nor share its infrastructure, software or human resource, the two being separate and independent entities.

[F. No. 12/(3)/2003-IT (Part)]

D. S. KOLAMKAR, Economic Adviser

2791 GI/2008

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1666] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 11, 2010/श्रावण 20, 1932
No. 1666] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 11, 2010/SHRAVANA 20, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2010

का.आ. 1977(अ).—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नेशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस-मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लि. (नेशनल ए पी एम सी), जिसका पंजीकृत कार्यालय 1, चतुर्थ तल, एच. के. हाऊस, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 में है, में व्यापारित वस्तुओं की बिक्री और खरीद के लिए एक दिन की अवधि की सभी अग्रिम संविदाओं को उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रचालन से निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन छूट देती है; अर्थात् :—

(i) एक्सचेंज के सदस्यों को कम बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी;

(ii) दिन की समाप्ति पर व्यापार की सभी बकाया पोजीशनों की डिलीवरी कर दी जाएगी;

(iii) नेशनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कम्पनी ऑफ इंडिया लि. (नेशनल ए पी एम सी) स्पॉट व्यापार आयोजित करेगी, जो उन क्षेत्रों जहां ऐसा व्यापार हो रहा है, में स्पॉट व्यापार को विनियमित कर रहे प्राधिकारियों द्वारा विनियमन के अध्यधीन होगा;

(iv) व्यापार से संबंधित सभी सूचना अथवा विवरणियों को जब भी मांगा जाएगा, उन्हें केन्द्रीय सरकार अथवा इसकी नामित एजेंसी को मुहैया कराया जाएगा;

(v) केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर जब जरूरी समझे अतिरिक्त शर्तें लगाने का अधिकार होगा; और

(vi) किसी तात्कालिक आवश्यकता के मामले में छूट को बिना कोई कारण बताए सार्वजनिक हित में वापस ले लिया जाएगा।

[फा. सं. 16/1/2010-आई टी]

केवल राम, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2010

S.O. 1977(E).—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby exempts all forward contracts of one day duration for the sale and purchase of commodities traded on the National Agriculture Produce Marketing Company of India Ltd. (National APMC), registered office at 1, 4th Floor, H.K. House, Ashram Road, Ahmedabad-380009 from operation of the provisions of the said Act subject to the following conditions, namely :—

(i) no short sale by members of the Exchange shall be allowed;

(ii) all outstanding positions of the trade at the end of the day shall result in delivery;

(iii) the National Agriculture Produce Marketing Company of India Ltd. (National APMC), shall organize spot trading subject to regulation by the authorities regulating spot trade in the areas where such trading takes place;

(iv) all information or returns relating to the trade as and when asked for shall be provided to the Central Government or its designated agency;

(v) the Central Government reserves the right to impose additional conditions from time to time as it may deem necessary; and

(vi) in case of exigencies, the exemption will be withdrawn without assigning any reason in public interest.

[F. No. 16/1/2010-IT]

KEWAL RAM, Senior Economic Adviser

3165 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.